-प्रेस नोट-

दिनांक- 03.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 01 शातिर गौकश घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध अस्लाह व गौकशी के उपकरण व 01 जिन्दा गौवंश बरामद

बरामदगी-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 खोखा / 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 02 कुल्हाड़ी, 05 छुरे, 01 सूजा, रस्सी के टुकड़े व 01 लकड़ी का गुटका (गोकशी करने के उपरकरण)
- 01 जिंदा गौवंश

अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में** जनपद में अपराध नियंत्रण, गोकशी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार सघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 03.05.2024 की सुबह रात्रि को लगभग 04:00 बजे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा ग्राम साल्हापुर के पास गश्त की जा रही थी तभी पुलिस टीम को एक खेत में कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखायी दिये, पुलिस टीम द्वारा उनके नजदीक पहुँचने पर दिखा कि वो लोग गोकशी कर रहे थे। तभी पुलिस टीम द्वारा उन्हें ललकारा गया तो बदमाशों द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जिस में पुलिस पार्टी बाल बाल बची ।आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग की गई जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया तथा उसके 03 अन्य साथी मौके पर गोकशी करने के उपरकरण को छोड़कर, अंधेरे व झाड़ियों का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। घायल बदमाश की पहचान **कलीम पुत्र हमीद कुरैशी उर्फ मिट्ठू निवासी गन्देवाड़ा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** के रूप में हुई है जो **थाना फतेहपुर का हिस्ट्रीशीटर** भी है। अभियुक्त के विरुद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानों में गोकशी व गैंगस्टर के 11 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार/घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फरार अन्य 03 बदमाशों की गिरफ्तारी हेतु काम्बिग की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा / 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 02 कुल्हाड़ी, 05 छुरे, 01 सूजा, रस्सी के टुकड़े व 01 लकड़ी का गुटका(गोकशी करने के उपरकरण) तथा 01 जिंदा गोवंश बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 129/2024 धारा 307 भादवि, 3/5/8 सीएस एक्ट व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त कलीम उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं अपने गांव के कुछ साथियों के साथ मिलकर गौकशी करता हूँ। मेरे खिलाफ जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानों में 01 दर्जन मुकदमें पंजीकृत हैं। हम लोग जंगल में घूमते हुए आवारा पशुओं को पकड़कर गोकशी करते हैं तथा उनका मीट बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। आज भी मैं अपने 03 अन्य साथियों के साथ सरसावा होते हुए यहाँ जंगल में गौकशी आये थे। जंगल में एक बछड़े को घूमता देख उसे पकड़कर रस्सी से बांध लिया और खेत में लाकर काटने लगे तभी नकुड़ पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिय़ा तो हम सभी ने अपने पास मौजूद हथियारों से पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग की गयी जिसमें मेरे बांये पैर में गोली लग गयी जिससे मै घायल हो गया। तथा मेरे अन्य तीनों साथी मौके से कार में बैठकर फरार हो गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

कलीम पुत्र हमीद कुरैशी उर्फ मिट्ठू उर्फ मिट्ठू निवासी गन्देवड़ा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 खोखा /01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 02 कुल्हाड़ी, 05 छुरे, 01 सूजा, रस्सी के टुकड़े व 01 लकड़ी का गुटका (गोकशी करने के उपकरण)
- 01 जिंदा गोवंश

<u>अभियुक्त कलीम उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-</u>

1. मु0अ0सं0 74/2023 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट थाना गागलहेडी, सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 149/2019 धारा 307 भादवि थाना फतेहपुर , सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 150/2019 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट थाना फतेहपुर , सहारनपुर
4. मु0अ0स0 237/2019 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना फतेहपुर , सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 238/2019 धारा 307 भादवि थाना फतेहपुर , सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 239/2019 धारा 414 भादवि थाना फतेहपुर , सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 242/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फतेहपुर , सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 245/2019 धारा 2/3 गैगंस्टर एक्ट थाना फतेहपुर , सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 325/2021 धारा 13 जुआ अधि0 थाना फतेहपुर , सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 466/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना फतेहपुर , सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 478/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना फतेहपुर, सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 129/2024 धारा 307 भादवि व 3/5/8 सीएस एक्ट व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नकुड़, सहारनपुर।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री सिराजुद्दीन थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री बीरबल सिंह थाना नकुड जनपद स हारनपुर
5. उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर
6. उ0नि0 श्री रोहताश बैसला थाना नकुड जनपद सहारनपुर
7. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना थाना नकुड जनपद सहारनपुर
8. है0कां0 866 सचिन ढाका थाना नकुड जनपद सहारनपुर
9. का0 2248 गौरव कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर
10. का0 2245 अंशू यादव थाना नकुड जनपद सहारनपुर
11. का0 2122 लोकेश कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर

दिनांकः 03.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 03.05.2024 को दो वारण्टी अभियुक्तगण **1.इरफान पुत्र मकसूदा 2.शमशाद पुत्र सादा नि0गण ग्राम टिडोली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 31/24 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना नकुड जनपद सहारनपुर को माननीय न्यायालय प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट कक्ष संख्या 17 जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. इरफान पुत्र मकसूदा निवासी ग्राम टिडौली थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. शमशाद पुत्र सादा निवासी ग्राम टिडौली थाना नकुड जनपद सहारनपुर

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार शर्मा थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 99 रोहित सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
4. हो0गा0 1789 राजेन्द्र सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 03.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना,सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार,घटना में प्रयुक्त 01 अवैध देशी तमंचा व 01 खोखा कारतूस,01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 23.04.2024 को वादी श्री पृथ्वी पुत्र पांचाराम निवासी ग्राम बैंगनी थाना चिलकाना सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्रों पर जान से मारने की नियत फायर करना जाति सूचक शब्दो के प्रयोग करने के संम्बंध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0-095/2024 धारा 307/504/34 भादवि व 3(2)(5) sc/st act बनाम विकेश उर्फ विक्की पुत्र दर्शनलाल निवासी ग्राम बैंगनी थाना चिलकाना सहारनपुर आदि पजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद मे वांछित/ वारंटी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त विकेश उर्फ विक्की पुत्र दर्शनलाल निवासी ग्राम बैंगनी थाना चिलकाना सहारनपुर को मुखबिर की सूचना पर ग्राम दुमझेडी से बैंगनी की तरफ जाने वाला रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर,01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूँछताछ करने पर बताया कि दिनांक 18.04.2024 को हमारी पृथ्वी सिहं के पुत्रों के साथ कहा सुनी हो गयी थी जिस कारण हमने गुस्से में आकर दिनांक 22.04.2024 की रात में पृथ्वी सिंह के घर पर फायर किये थे जिस तमंचे से मैने फायर किये थे ये वहीं तमंचा है जो आपने बरामद किया है इसे मैने एक राह चलते आदमी से खरीदा था जिसका नाम पता नहीं जानता आज मैं अपने गांव से अपनी रिश्तेदारी में जा रहा था कि पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

विकेश उर्फ विक्की पुत्र दर्शनलाल निवासी ग्राम बैंगनी थाना चिलकाना सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 विनोद कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर ।
2. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर।

प्रेस नोट

दिनांक: 03-05-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन, साईबर पुलिस टीम द्वारा साईबर ठगी के शिकार हुये पीड़ित व्यक्ति के 10,000 रूपये वापस कराये गये।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे, साईबर अपराधो की रोकथाम व साईबर ठगी का शिकार हुये पीड़ित व्यक्तियों सहायता हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारन के कुशल नेतृत्व मे थाना रामपुर मनिहारन साईबर हैल्पडैस्क पुलिस टीम द्वारा पीड़ित श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री नाथीराम निवासी इस्लामनगर थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर के साथ दिनांक 20.04.24 को हुई 10,000 रूपये की साईबर ठगी के माध्यम से 10,000 रुपये का फ्राड हो गया था। जिसके सम्बन्ध मे NCRP PORTAL पर कम्पलेन्ट संख्या 23104240041074 पंजीकृत है करायी गई व 1930 पर कॉल भी की गयी। इसी क्रम में रामपुर मनिहारान पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए फ्राड कर्ता के खाते को होल्ड पर लगवाया तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही कर पीडित के शत प्रतिशत 10,000 रूपये बरामद कर पीड़ित को वापस कराये गये।

साईबर हैल्पडैस्क पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
2. व0उ0नि0 श्री विनय शर्मा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री नितिन कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
4. कम्पयूटर आपरेटर नमन शर्मा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
5. म0का0 2126 मनीषा चौहान थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजो से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 03-05-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नांगल, सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से दुकान के बाहर से चोरी गए 03 नमक के कट्टे बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 29.04.2024 को वादी श्री कपिल तायल पुत्र श्रवण तायल निवासी रामदासपुर कस्बा व थाना नांगल जिला सहारनपुर ने एक लिखित प्रार्थान पत्र बाबत अज्ञात चोरो द्वारा दुकान के बाहर रखे टाटा नमक के कट्टे चोरी करने के सम्बन्ध मे थाना नांगल पर मु0अ0सं0 92/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री ज्ञानेश्वर बोद्ध के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये 03 शातिर चोर अभियुक्तगण **1.फरमान उर्फ वांटेड पुत्र जमील 2.रहमान पुत्र मोहतसीम 3.समून पुत्र जाकिर निवासीगण पाण्डौली रोड कस्बा व थाना नांगल जिला सहारनपुर** को एमएलडी स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी किये गये 03 टाटा नमक के कट्टे बरामद हुए। बरामदगीव गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगणो के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुकतगण उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि हम कम पढे लिखे हैं व नशा करने के आदि हैं। अपने नशे की लत को पूरा करने के लिये हमने मौ0 रामदासपुर कस्बा नागल में 01 दुकान के बाहर रखे हुए 03 नमक के कट्टे चोरी कर लिये थे।

बरामदगी-

- 03 नमक के कट्टे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नांगल जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 महेश चन्द थाना नांगल जनपद सहारनपुर
3. का0 2440 हरकेश सिंह थाना नांगल जनपद सहारनपुर
4. 2055 रवि सैनी थाना नांगल जनपद सहारनपुर

दिनांकः- 03.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद में अपराध नियंत्रण,अवैध शस्त्रो के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्वेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चैंकिग के दौरान 01 शांतिर वांछित अभियुक्त **जगपाल पुत्र रगबीरा निवासी ग्राम बलवा थाना कोतवाली शामली जिला शामली** को सम्बन्धित मु0अ0स0 218/2023 धारा 3/25/29 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर में गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद हुआ बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 की वृद्धि की गयी।।अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ मे अभियुक्त ने बताया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ।जो चाकू पुलिस टीम द्वारा मुझसे बरामद किया गया है उसे मैं अपने पास लोगो को डराने धमकाने के लिये रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जगपाल पुत्र रगबीरा निवासी ग्राम बलवा थाना कोतवाली शामली जिला शामली

बरामदगी

- 01 चाकू नाजायज।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह रावल ,थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. का0 1259 विनीत तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

दिनांक- 03.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा पाक्सो एक्ट के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में पुलिस द्वारा थाना फतेहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 84/24 धारा 363/376 भादवि 4(2) पोक्सो अधि0 में वांछित **अभियुक्त सरफराज पुत्र शमसाद नि0 अलावलपुर रोड कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को उसके घर अलावलपुर रोड कस्बा छुटमलपुर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय समक्ष के पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सरफराज पुत्र शमसाद नि0 अलावलपुर रोड कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. पीसी रमेश राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 03.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 230 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध मादक पदार्थ/नशीले पदार्थों की रोकथाम एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.05.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर **अभियुक्त इमरान पुत्र पीरू निवासी ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को ग्रीन पार्क कालोनी के सामने आम के बाग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 230 ग्राम अवैध चरस बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 87/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय समक्ष के पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –
इमरान पुत्र पीरू निवासी ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण
230 ग्राम अवैध चरस बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–
1. उ0नि0 श्री सोनू राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 24 सुनील थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. है0का0 307 प्रदीप थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. है0का0 1114 यतेन्द्र कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 03.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा 02 जिला बदर अभियुक्तगण के घर नोटिस चस्पा कर मुनादी करायी गयी

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार कडी कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा **अभियुक्तगण 1. आदित्य पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम मुण्डीखेडी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर 2.अभिषेक पुत्र प्रदीप निवासी ग्राम मुण्डीखेडी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर** के आपराधिक क्रियाकलापों लूट, जानलेवा हमला करने व अवैध असलाह रखने के मामले में अन्तर्गत धारा 03(1) यूपी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही के फलस्वरूप श्रीमान अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सहारनपुर के आदेशानुसार जिला बदर घोषित किया गया तथा जनपद की सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है। आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 03.05.2024 को थाना प्रभारी रामपुर मनिहारान मय फोर्स द्वारा अभियुक्त के गांव में ढोल बजवाकर मुनादी करायी गयी तथा अभियुक्त के घर पर नोटिस को चस्पा किया गया और आम जनमानस से अपील की गयी कि यदि अभियुक्तगण आदित्य व अभिषेक उपरोक्त निष्कासन अवधि में जनपदीय सीमाओं में प्रवेश करते है तो पुलिस को अवगत कराये।

जिला बदर अभियुक्त का नाम व पताः-

1. आदित्य पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम मुण्डीखेडी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2. अभिषेक पुत्र प्रदीप निवासी ग्राम मुण्डीखेडी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

- मु0अ0स0 91/23 धारा 147,148,149,307 भादवि थाना रामपुर मनिहारान
- मु0अ0स0 004/23 धारा 392,411,120 बी भादवि थाना रामपुर मनिहारान
- मु0अ0स0 006/23 धारा 392,411,120 बी भादवि थाना रामपुर मनिहारन

नोटिस चस्पा करने व मुनादी कराने वाली पुलिस पार्टीः-

1. प्र0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जसबीर सिंह थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 देवन्द्र सिंह थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
4. का0 1799 रोहित राणा थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर